

15-12-17

पत्रावली मूल निगरानी प्रकरण हे साक्ष-
साक्ष पेशा दुई। वहील पक्षधरान उपस्थित।
पुंसि मूल निगरानी प्रकरण आज निर्णित
हो चुका है अतः प्रार्थी का यह
रक्षणान प्रार्थनापत्र अब प्रभावहीन
होने से थारिज किले जाने योग्य है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र थारिज
किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली के मूल मुद्दा रोजगार नोकर
से रक्त हो।

मति. जिला कलकत्ता
सिरोही (सक.)